भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3884

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

निजी क्षेत्र में प्रति सप्ताह कार्य घंटे

3884. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है;
(ख) क्या सरकारी और विभिन्न निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी काम के दबाव के कारण उच्च रक्तचाप, शुगर आदि जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं;
(ग) क्या 5 कार्य दिवसों का नियम होने के बावजूद शनिवार, रविवार और अवकाश के दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है; और
(घ) क्या सरकार का सभी निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन स्थिति को छोड़कर शनिवार और रविवार को बैठक आयोजित न करने के निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के प्रशासन से संबंधित है जो निगमित कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों द्वारा पालन किये जाने वाले विभिन्न वैधानिक अनुपालनों के लिए विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कर्मचारियों की कार्य की शर्तें अपरोक्त विधिक ढांचे के दायरे के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(ख) से (घ): उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****